प्रकरण सं. .....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

दिनांक	
6/6/25	पत्रावली पेश हुई। वादी – प्रतिवादी आदि. उप.। साक्ष्यवादी उप.। साक्ष्यवादी की मुख्य परीक्षा कराई गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र पेश नहीं करने पर प्रतिवादी की साक्ष्यवादी को सिरे इंकार करने पर प्रतिवादी की साक्ष्यवादी बंद की गई। साक्ष्यवादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश करने हेतु निवेदन किया तथा साक्ष्य में अन्य दस्तावेज नहीं करने बाबत् आदेशिका पर अंकन किया गया। पत्रावली बाबते साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 20/6/25 को पेश हो। 6/6/25
20/6/25	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश दिनांक 15/7/25 को पेश हो।
15/7/25	पत्रावली पेश हुई। वादी आदि. उप.। साक्ष्यवादी अनु.। पत्रावली बाबते साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 4/8/25 को पेश हो। 15/7/25
4/8/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अभिवक्ता उप.। वादी आदि. द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व.नी. पेश कर वाद पत्र की तकनीकी त्रुटि होने से प्रत्याहरित कर नवीन वाद पेश करने की अनुमति चाही गई। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वादी अभिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अभिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है और वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 राज. कावतकारी अधिनियम को प्रत्याहरित करने की स्वीकृति प्रदत्त की जाती है। निर्णय सरे रूबरू सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा